न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3/15/2023

वउनवान

1. मंगल पुत्र परसादी जाति माली उम्र करीब 80 साल निवासी रामबास तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः–

श्री विष्णु सैनी – अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 13.07.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. हाल 254 रकबा 0.04805 हे0 वाके ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। शेष 2/3 भाग पर प्रार्थी के भाई कालू व गुट्या का हिस्सा है। जिनसे प्रार्थी का विवाद नही है। मात्र हाल जमाबंदी में प्रार्थी का नाम **मंगल की जगह लल्लू** दर्ज होने से उसे दुरूस्त करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने के कारण उक्त आराजी को प्रार्थी विवादित आराजी मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। ताईद में नकल जमाबंदी हाल संवत 2072–75 खाता सं. 89, जमाबंदी खाता सं. 174, मिलान क्षेत्रफल, सेटलमेंट की जमाबंदी, बिजली का बिल, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड , पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, बैक पासबुक की प्रति पेश की है। यह है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मंगल है। और प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजों जैसे जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व अन्य खातेदारी की आराजी खसरा नं. 136, 796 वाकें ग्राम रामबास में प्रार्थी का सही नाम मंगल पुत्र परसादी दर्ज है इसके अलावा नामांतकरण

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

पंजिका मौजा रामबास में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28.08.1965 को निर्णित नामांतकरण की प्रति पेश की है जिसमें सजरा अंकित है और उसमें परसादी के पुत्रों में मंगल अंकित है। लेकिन आराजी मुतनाजा के हाल राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से मंगल का नाम लल्लू दर्ज हो गया है। जबकि लल्लू पुत्र परसादी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।

136 Correction of errors:- the land records officers may at any time, correct of cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record to right or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any during records of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा न. हाल 254 रकबा 0.04805 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर मे प्रार्थी का नाम लल्लू पुत्र परसादी के स्थान पर मंगल पुत्र परसादी दर्ज कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर तहसीलदार गोविन्दगढ़ को नोटिस जारी कर तलब किया गया

तहसीलदार गोविन्दगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में आराजी खसरा नम्बर 254 में खातेदार लल्लू पुत्र परसादी हिस्सा 1/3 के बजाय मंगल पुत्र परसादी हिस्सा 1/3 के किये जाने की अभिशंषा की है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी के द्वारा मंगल पुत्र परसादी, पप्पूराम उर्फ रामेश्वर पुत्र गुट्टयाराम, किशनलाल पुत्र कालू निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ कि ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किये गये है शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम लल्लू पुत्र परसादी के स्थान पर मंगल पुत्र परसादी दर्ज कर हाल राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का समग्र अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

पहुंचता है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम लल्लू पुत्र परसादी के स्थान पर मंगल पुत्र परसादी शुद्ध करने के आदेश जारी करना यह न्यायालय उचित मानता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया जाता है कि तहसीलदार गोविन्दगढ आराजी खसरा नम्बर हाल 254 रकबा 0.04805 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर में प्रार्थी का नाम **लल्लू पुत्र परसादी के स्थान मंगल पुत्र परसादी** दर्ज कर दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ
सत्यमेव जयते
जिला अलवर (राज०)

अतः यह आदेश आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प लक्ष्मणगढ़ में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ (अलवर) राज०